संख्या:28/2019/93/35-4-2019

प्रेषक ,

आर0एन0एस0यादव
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी,
प्रयागराज।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 14 जनवरी,2019

विषय: मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रों में रू.5.00 करोड़ के कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद प्रयागराज की विधान सभा क्षेत्र-शहर दक्षिण एवं शहर उत्तर से संबंधित कार्यो हेतु रू. 999.91 लाख (जिसमें अधिष्ठान व्यय एवं 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि सम्मिलित है) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू. 999.91 लाख (रूपये नौ करोड़ निन्यानबे लाख इक्यानबे हजार मात्र), की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित विवरण तथा शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यो के लिये कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग होगी:-

(लाख रू.में)

	वि0स0 क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	लागत	अवमुक्त धनराशि
1	शहर दक्षिण	डांडी राजरस कुंज स्वीट हाउस के सामने डांडी बस्ती से होते हुये एग्रीकल्चर, मेडिकल कालेज इन्दलपुर के बगल में मुख्य सड़क तक रोड और नाला, इन्टरलाकिंग, पेन्टिग कार्य।	0.60	102.59	102.59
2	शहर दक्षिण	अमृत लाल की पान की दुकान डांडी से मुसई पासी डांडी के घर तक इन्टरलांकिग नाली का कार्य।	0.06	7.25	7.25
3	शहर दक्षिण	पिकेश मोबाइल की दुकान डांडी के बगल से राम मूर्ति मिश्रा डांडी के मकान तक इन्टरलाकिंग नाली का निमार्ण	0.085	9.43	9.43
4	शहर दक्षिण	वीरेन्द्र कुमार पाल (तनु डेयरी) डांडी के सामने से जूनियर हाई स्कूल डांडी तक गली नाली एवं इन्टरलाकिंग कार्य ।	0.327	28.93	28.93
5	शहर दक्षिण	गुड्डी भारतीय डांडी के घर के बगल में गली-नाली एवं इन्टरलाकिंग कार्य ।	0.06	5.33	5.33
6	शहर दक्षिण	मान सिंह इन्दलपुर के घर के बगल अजय सिंह राणा इन्दलपुर के घर के सामने से होते हुये राम बाबू पासी इन्दलपुर के घर तक गली, नाली एवं इन्टरलाकिंग कार्य	0.414	46.49	46.49
7	शहर दक्षिण	दया नन्द पासी के घर से अशोक सरोज डांडी के घर तक गली, नाली एवं इन्टरलाकिंग कार्य।	0.097	10.10	10.10
8	शहर दक्षिण	पप्पू भारतीय इन्दलपुर के मकान के सामने गली में सड़क तक गली, नाली एवं इन्टरलाकिंग कार्य।	0.06	4.33	4.33

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	वि0स0 क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	लागत	अवमुक्त धनराशि
9	शहर दक्षिण	मंशा भारतीय इन्दलपुर के घर लक्ष्मी देवी इन्दलपुर के सामने आर्दष विला सोसयटी इन्दलपुर के बगल तक गली, एवं इन्रलांकिग कार्य ।	0.04	3.08	3.08
10	शहर दक्षिण	मेसर्स दिनेश केसरवानी जनरल स्टोर से बृजराज सिंह ज्येष्ठ उपाध्यक्ष के मकान के पास से होते हुये सुधाकर पाण्डेय के निवास तक गली में नाली एवं सी0सी0 रोड निर्माण	0.14	13.30	13.30
11	शहर दक्षिण	धनराज बाबा महेवा पश्चिम पट्टी के घर से भास्कर पासीमहेवा पश्चिम पटटी के घर तक गली, नाली एवं सी0सी0 रोड निर्माण ।	0.81	66.56	66.56
12	शहर दक्षिण	विद्यापीठमहेवा पश्चिम पटटी सम्पर्क मार्ग पर पेन्टिग कार्य ।	2.00	102.14	102.14
13	शहर दक्षिण	अंकितपासी महेवा पश्चिम पटटी के घर से नई बस्ती तिराहा महेवा पश्चिम पटटी तक सी0सी0 रोड कार्य ।	0.381	19.67	19.67
14	शहर दक्षिण	राजाजीमहेवा पश्चिम पटटी के घर से बुद्ध नगर महेन्द्र पासी महेवा पश्चिम पटटी के घर तक सड़क नाली एवं इन्टलाकिंग कार्य	0.428	29.64	29.64
15	शहर दक्षिण	गुड्डू महेवा पश्चिम पटटी के घर से तौसीफ अहमद महेवा पश्चिम पटटी के घर करामत चौराहा तक नाली, इन्टरलाकिंग कार्य ।	0.09	6.71	6.71
16	शहर दक्षिण	रेलवे लाइन के किनारे सावल दास के घर से बब्लू सोनकर (पूर्व पार्षद) के घर से आगे इन्द्रपुरी कालोनी तक इन्टरलाकिंग, नाला का कार्य ।	0.15	44.43	44.43
		योग विधान सभा क्षेत्र शहर दक्षिण	**5.742**	**499.98**	**499.98**
17	शहर उत्तर	अम्बेदकर मूर्ति के बगल से नाले के आगे तक इण्टरलाकिंग व नाली का निर्माण कार्य	0.090	6.51	6.51
18	शहर उत्तर	रणजीत सिंह के घर से जगदीश के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली का निर्माण कार्य ।	0.070	5.57	5.57
19	शहर उत्तर	अप्पू मेडिकल स्टोर का मुख्य मार्ग पर लेपन के आगे गल्ला बाजार तक इण्टरलाकिंग व नाली का कार्य ।	0.135	9.90	9.90
20	शहर उत्तर	शुतुरखाना में मुन्ना की चक्की से बब्लू जायसवाल के घर से होते हुये सुनीता देवी के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली का निर्माण कार्य ।	0.190	14.66	14.66
21	शहर उत्तर	ऊँटखाना पार्षद गुड्डू के घर से होते हुये रंजित सोनकर तक इण्टरलाकिंग व नाली का निर्माण कार्य ।	0.170	12.58	12.58
22	शहर उत्तर	गंगा नगर गली नं0 16 रामबाबू सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली का निर्माण कार्य ।	0.145	13.44	13.44
23	शहर उत्तर	गली नं0 17 के आगे से रेखा मिश्रा के घर तक इण्टरलाकिंग नाली का निर्माण कार्य ।	0.205	20.57	20.57
24	शहर उत्तर	बी0सी0 मिश्रा के घर से के0के0 मौर्या के घर से होते हुये मुख्य रोड कछार तक डामर रोड का निर्माण।	0.650	39.11	39.11
25	शहर उत्तर	गंगा नगर चन्द्रहास सिंह एडवोकेट के घर से मधु मौर्या के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली का निर्माण ।	0.105	9.15	9.15
26	शहर उत्तर	सुनीतामौर्या के घर से सुरेश पटेल के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली का निर्माण ।	0.138	11.68	11.68

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	वि0स0 क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	लागत	अवमुक्त धनराशि
27	शहर उत्तर	हनुमान जी के मंदिर से राजेश कुशवाहा के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली का निर्माण ।	0.367	39.69	39.69
28	शहर उत्तर	किरणलता के घर से इन्द्रपाल के घर तक 5 लिंक मार्ग तक इण्टरलाकिंग नाली का निर्माण ।	0.305	27.90	27.90
29	शहर उत्तर	सीता गौडियार के घर से प्राइमरी स्कूल से होते हुये श्याम विहारी राम के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली का निर्माण कार्य ।	0.178	33.51	33.51
30	शहर उत्तर	नीलम कुषवाहा के घर से पप्पू धुरिया की गली से होते हुये हरिनन्दन के प्लाट तक इण्टरलाकिंग व नाली का निर्माण कार्य ।	0.630	49.77	49.77
31	शहर उत्तर	पत्रिका देवी के पीछे वाली गली में अमित सोनकर के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली का निर्माण ।	0.225	14.08	14.08
32	शहर उत्तर	पत्रिका देवी स्कूल के बगल वाली गली में शोभा वर्मा के घर से होते हुये सिन्टू सोनकर के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली का निर्माण	0.335	25.90	25.90
33	शहर उत्तर	मऊ सरैया रबीन्द्र प्रसाद पत्रकार कालोनी से हरी राम यादव के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण।	0.450	52.58	52.58
34	शहर उत्तर	राज पटेल के घर से दिनेश गौतम के घर से कुलदीपक चहार के घर से नन्दलाल मौर्या के घर तक इण्टरलाकिंग का निर्माण	0.210	25.79	25.79
35	शहर उत्तर	रंजन सर के घर से राजबहादुर पटेल के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली का निर्माण	0.125	11.89	11.89
36	शहर उत्तर	अशोक यादव के घर से पवन पार्षद के घर से होते हुये चन्द्रमा यादव के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण	0.131	12.45	12.45
37	शहर उत्तर	अशोक तिवारी एडवोकेट के घर से करमदीप सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग ।	0.120	12.94	12.94
38	शहर उत्तर	पी.एन.शुक्ला के घर से मुर्तेजा मिस्त्री के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण	0.180	16.64	16.64
39	शहर उत्तर	पी.एन.शुक्ला के घर से राम नारायण प्रसाद के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण।	0.210	17.40	17.40
40	शहर उत्तर	अमित श्रीवास्तव के घर से पिण्टू यादव के घर तक डामर रोड एवं नाली का निर्माण।	0.270	16.22	16.22
		योगवि0स0 शहर उत्तर	**5.634**	**499.93**	**499.93**
		योग जनपद इलाहाबाद	**11.376**	**999.91**	**999.91**

1- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

2- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा से संबंधित उक्त कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से की जायेगी। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के मुख्यालय स्तर तथा क्षेत्रीय/जनपदीय अधिकारियों द्वारा वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल पर सुसंगत सूचनाओं को अंकित करते हुये नियमित रूप से प्रगति विवरण भरा जायेगा।

4- कार्यों का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्यों के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार एवं मार्ग की लम्बाई में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि अनुमन्य नहीं है।

5- निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। विस्तृत आगणन यदि अनुमोदित मूल आगणन से उल्लेखनीय रूप से भिन्न (Significantly different) होते हैं, तो कार्य की वास्तविक लागत को शासन स्तर से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित होगा। इस प्रकार अनुमोदित विस्तृत आगणन की प्रति कार्य स्थल के विवरण इत्यादि सहित कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग के माध्यम से नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

6- प्रश्नगत कार्यो के लिये नियमानुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

7- प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा यथा संशोधित/स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे।

8- ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या–1107/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

9- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्यों हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

10- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

11- परियोजनाओं के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

12- स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

13- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2019 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती ह तो उसे 31 मार्च, 2019 से पूर्व समर्पित किया जायेगा । स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2019 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

14- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2019 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

15- जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।

16- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा ।

17- यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।

18- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

19- समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

20- त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर,2018 तथा लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2018-1092/23-02-2018 दिनांक 04 नवम्बर,2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

21- कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2018-1092/23-02-2018 दिनांक 04 नवम्बर,2018 के प्रस्तर-2 के बिन्दु संख्या-10 के अनुसार मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।

22- मा0 मुख्यमंत्री जी की प्रश्नगत घोषणा से संबंधित कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग नोडल विभाग है। अतः स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल आदि के माध्यम से किया जायेगा।

23- कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्बंधित ग्रामीण/नगरीय निकाय को हस्तान्तरित की जायेगी। संबंधित निकाय द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।

2- उपर्युक्त तालिका के क्रमांक-1 से 16 के कार्यों की मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0305-लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्य-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। तथा क्रमांक-17 से 40 के कार्यों की मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-02-शहरी क्षेत्रों में सड़कों के सुधार के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च,2018 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0एन0एस0यादव)
विशेष सचिव

संख्या:28/2019/93(1)/35-4-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- प्रमुख सचिव, विधान सभा।
7- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
8- मण्डलायुक्त, प्रयागराज ।
9- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग/मुख्य अभिन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
10- मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज ।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज ।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, प्रयागराज ।
14- अधिशासी अभियन्ता,लो0नि0वि0/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,प्रयागराज।
15- अनुसचिव,मुख्यमंत्री घोषणा-प्रकोष्ठ।
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0एन0एस0यादव)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया ह अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही ह।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती ह।